124

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

करण संख्याः– 111/2022
यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 रजिस्टर्ड कार्यालय 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001

–– प्रार्थी बैंक

बनाम

1. अनाज भण्डार जरिये प्रोपराईटर अमित कुमार, पता अनाज मण्डी, सूरजगढ, सिरसला बडसरी के पास, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं– 333029
2. अमित कुमार पुत्र छाजूराम
3. छाजूराम पुत्र रामनिवास
4. कृष्णा देवी पत्नि छाजूराम पुत्री ओमप्रकाश

समस्त जातियान महाजन, निवासी वार्ड नं0 11, सिरसला, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं– 333052

Also at– कृष्णा देवी, प्रोपर्टी आवासीय मकान एट वार्ड नं0 11, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धारा 14 सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002

––

पस्थितः–

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा– प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।
2. **अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।**

## आदेश

**दिनांक 10.10.2022**

प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा ऋणी/अप्रार्थीगण के पक्ष उनके आवेदन पर केडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन ( बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन ) के टे 10,00,000/–रूपये अक्षरे दस लाख रूपये की ऋण सुविधा खाता सं0 L9001060122631872 दनांक 21.12.2020 स्वीकृत की गयी थी। इस हेतु ऋणी/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। उक्त ऋणी राशि प्रतिभूति करार के तहत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित –अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय मकान एट वार्ड नं0 11, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुनूं, नपति 115.94 Sq. Yrd. ( वर्गगज ) अप्रार्थी कृष्णा देवी के मालिकाना हक की है एवं जिसकी हदी निम्न प्रकार से है–

रब में –जमीन विजय कुमार
श्चिम में –आम रास्ता
त्तर में –मकान राजेन्द्र प्रसाद व जयप्रकाश
क्षिण में –इस्लाम मणियार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.21 15:03:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण व ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैक रा दिनांक 03.10.2021 को ( NPA ) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। र्थी बैक द्वारा मांग नोटिस दिनांक 13.10.2021 द्वारा अं0 धारा 13( 2 ) वित्तीय आस्तियों का

ला कलक्टर झुन्झुनूं

ूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन एक्ट 2002 के तहत प्रेषित कर 60 दिवस के या ऋण राशि 10,57,152/रूपये अक्षरे दस लाख सत्यावन हजार एक सौ बावन रूपये मय व खर्चा दिनांक 10.10.2021 से भुगतान करने की मांग की। श्रीमान को उक्त अधिनियम की 14 के तहत प्रतिभूति आस्ति को अपने कब्जे/नियंत्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार बैंक को सुपर्द का अधिकार प्राप्त है। उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत गिरवीकृत संपत्ति जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है– अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय न एट वार्ड नं0 11, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, नपति 115.94 Sq. Yrd. र्गगज ) अप्रार्थी कृष्णा देवी के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है–

में –जमीन विजय कुमार
चम में –आम रास्ता
तर में –मकान राजेन्द्र प्रसाद व जयप्रकाश
ण में –इस्लाम मणियार

त गिरवीकृत संपत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय या धेकरण द्वारा रोक नही है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वेदन है कि गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालो से खाली करवा कर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को लवाया जावें जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति से बकाया ऋण की वसूली की जा के।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की सरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक का ऋण नही चुकाया गया है। प्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार र प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे धिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नही। अप्रार्थीगण के वेरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.21 15:03:45 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 द्वारा

गत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ नेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी कृष्णा देवी के मालिकाना हक अचल संपत्ति अचल संपत्ति प्रोपर्टी आवासीय मकान एट वार्ड नं0 11, सूरजगढ, तहसील जगढ, जिला झुंझुनूं, नपति 115.94 Sq. Yrd. ( वर्गगज ) का पजेशन प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स लि0 को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। श की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता लब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक **10.10.2022** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.21 15:03:45 IST
Reason: SelfAttested